संख्या–408/XXVIII–5–2011–96/2004

प्रेषक,

सुशीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 22 फरवरी, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी निदेशालय के भवन निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–123/XXVIII–5–2008–96/2004 दिनॉकः 24.01.08 तथा शासनादेश संख्या–1535/XXVIII–5– 2008–96/2004 दिनॉकः 30.12.08 एवं शासनादेश सं0–1458/XXVIII–5– 2010–96/2004 दिनॉकः 10.11.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी निदेशालय के भवन निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित लागत ₹1449.01लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹1364.80 लाख के अतिरिक्त अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹84.21 लाख (रूपये चौरासी लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8– उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2010–11 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक –4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें–110–अस्पताल तथा औषधालय–17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण–00–आयोजनागत–24–वृहत निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 840(पी)/XXVII(1)/2010, दिनांक 20 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पॉथरी)
उप सचिव

संख्या-508 (1)/XXVIII-5-2011-96/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
8. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
9. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून
11. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
14. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पॉथरी)
उप सचिव,